प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 02.04.2026

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए पाक्सो एक्ट व उ0प्र0 विधि विरूध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा ***श्री अरविन्द शर्मा*** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा 26/2026 धारा 74,333,352 बीएनएस, 7/8 पाक्सो एक्ट व 3/5 उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म सम परिवर्तन अधिनियम से संबंधित वांछित अभियुक्त रमजान पुत्र रहमत अली निवासी ग्राम लोहरौली ठकुराई थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 02.04.2026 को पिपरा बोरिंग मोड़ के पास से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 24.01.02026 को थाना दुधारा पर वादिनी द्वारा अभियुक्त पर अपनी पुत्री के साथ अश्लील बातें करना, छेड़छाड़ के साथ अन्य प्रकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा, का0 भूपेन्द्र कुमार दूबे।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित के साइबर हेल्प डेस्क थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा सम्पूर्ण फ्राड का शत प्रतिशत कुल 02 लाख रुपये की धनराशि कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर हेल्प डेस्क थाना कोतवाली खलीलाबाद टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को साइबर हेल्प डेस्क थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा सम्पूर्ण फ्राड का शत प्रतिशत लगभग कुल 02 लाख रुपये की धनराशि वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 25.03.2026 को पीड़ित प्रदीप यादव पुत्र इन्द्रासन यादव निवासी उतरावल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना पर उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि उसने CAR मशीन क्रय करने के संबंध में एक अज्ञात फ्रॉड व्यक्ति के माध्यम से ऑनलाइन लगभग ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) का भुगतान कर मशीन खरीदी, किन्तु प्राप्त मशीन, ऑनलाइन दर्शाई गई मशीन के अनुरूप न होकर एक स्थानीय कंपनी की मशीन निकली, जिससे आवेदक को आर्थिक क्षति हुई। इस संबंध में आवेदक द्वारा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई गई। जिस पर थाना कोतवाली खलीलाबाद के साइबर हेल्प डेस्क के अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) की धनराशि होल्ड करा दी गई। सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान पीड़ित से किये गये सम्पूर्ण फ्राड का शत प्रतिशत लगभग कुल 02 लाख रुपये की धनराशि वापस होने पर संतकबीरनगर पुलिस की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।

रिकवर कराने वाले अधि0/कर्मचारीगण- अपराध निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री राकेश कुमार सिंह, म0का0 रीता देवी, म0का0 शिवांगी सिह, का0 रविकान्त कुशवाहा।

जनपदीय पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।

सराहनीय पुलिस कार्यवाही, जनपद संतकबीरनगर
#PoliceAction
#UPPCracksCyberCrime
#UPAgainstCyberCrime
#CyberSafeUP

दिनांक: 02.04.2026

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित के साइबर हेल्प डेस्क जनपद संतकबीरनगर पुलिस टीम द्वारा सम्पूर्ण फ्राड का शत प्रतिशत लगभग कुल 02 लाख रुपये की धनराशि वापस कराई गयी।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर, जोन गोरखपुर के निर्देशन में तथा श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती, परिक्षेत्र बस्ती के पर्यवेक्षण में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित के साइबर हेल्प डेस्क जनपद संतकबीरनगर पुलिस टीम द्वारा सम्पूर्ण फ्राड का शत प्रतिशत लगभग कुल 02 लाख रुपये की धनराशि वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण
पीड़ित रामअनुज मौर्य पुत्र श्रीराम मौर्य निवासी निवासी जंगलऊन थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के 99999 रुपये, 50000 रुपये HDFC क्रेडिट कार्ड से व UPI के माध्यम से 48500 रुपये का फ्राड हुआ था। पीड़ित 01 घण्टे के अंदर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के साइबर हेल्प डेस्क पर आकर शिकायत किया गया। थाना कोतवाली के साइबर हेल्प डेस्क द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए HDFC क्रेडिट कार्ड से हुए फ्राड को तुरंत ब्लाक करवा गया। जिसके उपरांत पीड़ित के क्रेडिट कार्ड से हुए फ्राड कुल 1,50,000 रुपये वापस आ गये तथा NCRP PORTAL पर 48,500 रुपये फ्राड होने की शिकायत दर्ज की गयी, जिसके उपरांत NCRP PORTAL के द्वारा कुल 48,500 रुपये का होल्ड लगाया गया। संम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान पीड़ित से किये गये सम्पूर्ण फ्राड का शत प्रतिशत लगभग कुल 02 लाख रुपये की धनराशि वापस कराई गयी। इस पर पीड़ित द्वारा जनपद संतकबीरनगर पुलिस की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।

सादर
(संदीप कुमार मीना)
पुलिस अधीक्षक
जनपद संतकबीरनगर

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** वारण्टी नाम पता 01. राहुल चौरसिया पुत्र राजाराम चौरसिया निवासी औरही थाना मेंहदावल 02. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी गौरीशंकर निवासी मुसहरा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामनरायन, उ0नि0 श्री कय्यूम अंसारी, म0का0 सबीना खातून।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 15 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 8294 द्वारा आटो रिक्शा पलट जाने के कारण दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल–

पीआरवी 8294 पर थाना महुली क्षेत्रांतर्गत छितही से कालर द्वारा आटो रिक्शा पलट जाने के कारण दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों (01.सचिन पुत्र अज्ञात 02.सुनीता पुत्र मोहन 03.सरोज पत्नी श्रीपत निवासीगण ग्राम बजहाँ थाना लालगंज जनपद बस्ती) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को निजी वाहन की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 उपेन्द्र कुमार, हो0गा0चा0 त्रिभुवन चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 154 वाहनों से 1,58,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 02.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 154 वाहनों से 1,58,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2050 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 02.04.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक श्री सदानन्द पाण्डेय थाना दुधारा द्वारा अभियुक्त कव्वाल पुत्र सवारी निवासी बंजरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 08 अदद गोवंशीय पशु बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री संतराज यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 855/2015 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त कव्वाल उपरोक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 2050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गाली गलौज मारपीट के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का दण्ड व कुल 2500 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 02.04.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0 (जे0डी0) जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का दण्ड व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री वीरवली केवट पुत्र रामदीन केवट निवासी बढ़या टोला खैरहवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर अभियुक्त कोईल पुत्र झिनकान निवासी बढ़या टोला खैरहवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी से गाली गलौज, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर उ0नि श्री पी0आर0 पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एनसीआर नं0 92/2003 धारा 323/504/506/ भा0द0वि0 थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त कोईल को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अन्तर्गत धारा 323/504/506 भा0द0वि0 में न्यायालय उठने तक का दण्ड व कुल 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जय प्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में गठित टीम पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 190/2026 धारा 115(2),352,351(3),191(2),191(3),333,109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता रामबहादुर पुत्र बिन्देश्वरी निवासी ग्राम भैसासेहरी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 02.04.2026 को उसके घर से नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 24.03.2026 को वादी श्री रामप्रताप पुत्र सुदेश्वरी निवासी भैसासेहरी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर तहरीर दिया गया कि आवेदक व उनकी पत्नी व पुत्री को दिनांक 23.03.2026 को अभियुक्त उपरोक्त द्वारा घर में घुसकर गाली गलौज व सरिया से मारपीट करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त को आज दिनांक 02.04.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री उमाशंकर त्रिपाठी, उ0नि0 श्री रामजतन प्रजापति, हे0का0 हरिप्रकाश, का0 संजय प्रसाद, का0 जय किशन गोंड, का0 चन्द्रशेखर यादव।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित के साइबर हेल्प डेस्क थाना बेलहरकला द्वारा 6980 रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर हेल्प डेस्क थाना बेलहरकला द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को **6980** रुपये की धनराशि उनके खातों में वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी कन्हैया पुत्र रमेश साहनी निवासी ग्राम बेलहरकला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर दिनांक 31.03.2026 को वादी के मोबाइल नम्बर(फोन पे) से गलत अकाउंट पर 6980 रुपये ट्रांसफर हो गया था। तत्पश्चात् वादी द्वारा थाना बेलहरकला पर शिकायत दर्ज कराया गया था। जिसके उपरान्त तत्काल कार्यवाही करते हुए साइबर हेल्प डेस्क थाना बेलहरकला द्वारा **6980** रूपये (शत प्रतिशत) वापस करा दिया गया।

***बरामदगी टीम-* प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला श्री अनिल कुमार, उ0नि0 श्री नन्दा प्रसाद, का0 दीनानाथ, का0 शैलेश यादव, म0का0 वैष्णवी शुक्ला।**

जनपदीय पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।